

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दां0प्र0क0-595 / 10

संस्था0दि0 10 / 12 / 10

फाईलनं.233504000142010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

1. बैजू पिता मुल्लासिंह कोकोड़िया,
उम्र 36 वर्ष, जाति गोंड, (फरार)
2. अशोक पिता मिश्रीलाल नागले, उम्र 33 वर्ष,
जाति मेहरा, नि0 बघवाड़, थाना आमला,
जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 23 / 09 / 2016 को घोषित)

- 1- अभियुक्त अशोक के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 379 के तहत अभियोग है कि दिनांक 13 / 11 / 10 को रात्रि करीब 10-11 बजे ग्राम बघवाड़ में प्रार्थी श्रीराम राठौर के खेत में से फरियादी श्रीराम राठौर की आधिपत्य की एक विधुत मोटर (एक समरसेवल पम्पसेट) पांच एच.पी. की कीमती करीबन 20,000 / -रुपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की।
- 2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम खण्डारा किला रहता है। कास्तकारी करता है। उसका खेत ग्राम बघवाड़ सिवाने में है। जहां ट्यूबवेल लगा है एवं खेत के किनारे नदी में भी पानी रोक लिया है जो उस पानी से भी सिंचाई करता है। आज से करीबन एक हप्ता पहले उसने अपनी ट्यूबवेल की मोटर निकाल कर नदी से खेत सिंचाई करने के लिए नदी के पानी के अंदर मोटर डाल कर सिंचाई कर रहा था। कल रात में दस बजे रात तक खेत में सिंचाई किया फिर घर चला गया ग्यारह बजे रात को वापिस आया तो मोटर चालु की पानी नहीं निकला तो उसने नदी में देखा तो मोटर नहीं थी किसी ने चुरा ले गई थी। वह आस पास तलाश किया नहीं मिली। उसकी चोरी गई मोटर की कीमत करीब 20 हजार रुपये है जो पांच हॉर्ष पावर की थी जिसे उसने सन् 1994 में किसान मशीनरी स्टोर्स बैतूल गंज से खरीदी थी अभी हप्ते भर पहले नदी में डालते समय उसने मोटर पर पांच जगह नीले पेन्ट से गोल घेरे से पुताई की थी उसकी मोटर सामने आने पर वह

पहचान लेगा।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर फरियादी के तथा बी से बी भाग पर एस0आर0 यादव के हस्ताक्षर हैं। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 314/10 भा.द.सं धारा-379 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 15/11/10 को घटना स्थल का घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया गया, दिनांक 15/11/10 को मेमोरेण्डम प्र0पी0 5 तैयार किया, दिनांक 15/11/10 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया गया, दिनांक 28/11/10 का शिनाख्ती मेमो प्र0पी0 3 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, दिनांक 15/11/10 को गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 7 तथा 08 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4— प्रकरण में धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— —: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 13/11/10 को रात्रि करीब 10-11 बजे ग्राम बघवाड़ में प्रार्थी श्रीराम राठौर के खेत में से फरियादी श्रीराम राठौर की आधिपत्य की एक विधुत मोटर (एक समरसेवल पम्पसेट) पांच एच.पी. की कीमती करीबन 20,000/-रुपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी श्रीराम (अ.सा.01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उसके खेत में सो रहा था और पानी चालु था, जब वह वहां पर गया उठकर देखा तो खेत में पानी चालु नहीं था, जब उसने नदी में जाकर देखा तो मोटर नदी में नहीं थी, उसने फिर रात के 12 बजे रात से सुबह तक मोटर को आस-पास तलाश किया लेकिन मोटर नहीं मिली उसकी मोटर चोरी गयी थी। गवाह की उक्त साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा में खंडित नहीं हुई है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्ष्य को प्रश्नगत करने वाले कोई प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से नहीं पूछे गये हैं। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्ष्य को प्रश्नगत न करने के कारण यही माना जायेगा कि उक्त तथ्य बचाव पक्ष को स्वीकृत है। इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार गवाह से भी श्रीराम की साक्ष्य के अनुसार उसकी ट्यूबवेल की मोटर घटना दिनांक को उसका खेत ग्राम बघवाड़ से चोरी हुई थी।

7— अभियोजन साक्षी श्रीराम (अ.सा.01) ने साक्ष्य में बताया है कि उसने मोटर घुमने की रिपोर्ट बोड़खी चौकी में की थी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके साथ ही गवाह श्री एस0आर0 यादव (अ.सा.09) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02/01/11 को पुलिस चौकी बोड़खी सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये फरियादी श्रीराम के द्वारा चौकी बोड़खी में आकर उसके पानी की मोटर चोरी होने की रिपोर्ट लेख कराने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेख किया था। उक्त दोनों गवाहों ने रिपोर्ट प्र0पी0 1 में उसके हस्ताक्षर होने के तथ्यों को भी सत्यापित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 फरियादी के द्वारा पुलिस चौकी बोड़खी में लिखाने व उप निरीक्षक एस0आर0 यादव (अ.सा.09) के द्वारा लिखने के तथ्य को बचाव पक्ष ने गवाह की प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत नहीं किया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य से घटना के अगले दिन पुलिस चौकी में लिखाई गई रिपोर्ट प्र0पी0 1 प्रमाणित है।

8— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-57 के अनुसार गवाह के पूर्ववर्ती कथन उसी तथ्य के संबंध में उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए साबित किए जा सकते हैं। रिपोर्ट प्र0पी0 1 के कथन पूर्ववर्ती है। साक्ष्य से रिपोर्ट प्रमाणित है इसलिए उसके कथन साबित होने के कारण रिपोर्टकर्ता श्रीराम की परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं।

9— प्र0पी0 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी ने लेख कराया था कि आज से करीबन एक सप्ताह पहले उसने उसकी ट्यूबवेल की मोटर निकाल कर नदी से खेत सिंचाई करने के लिए नदी के पानी के अंदर मोटर डालकर सिंचाई कर रहा था। कल रात में 10 बजे रात तक खेत में सिंचाई किया, फिर चला गया 11 बजे रात को वापस आया तो मोटर चालु की पानी नहीं निकला तो उसने नदी में देखा तो मोटर नहीं मिली थी किसी ने नदी से केबल वायर काटकर एवं पाईप काटकर मोटर चुराकर ले गई थी। रिपोर्टकर्ता श्रीराम (अ.सा.01) ने अपनी परिसाक्ष्य में भी उक्त आशय के तथ्य बताए हैं। इस प्रकार रिपोर्ट प्र0पी0 1 के अभिकथनों से फरियादी श्रीराम की साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है।

10— उर्पयुक्त अनुसार फरियादी श्रीराम की परिसाक्ष्य व रिपोर्ट प्र0पी0 1 के अभिकथनों से प्रमाणित है कि दिनांक 13/11/10 को रात्रि करीब 10-11 बजे फरियादी के खेत में से एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था।

11— न्यायालय के समक्ष विचारणीय है कि क्या अभियुक्त ने फरियादी की आधिपत्य की एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की चोरी की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति तभी सुसंगत होती है, जब उस संस्वीकृति के आधार पर अपराध से संबंधित विषयवस्तु की खोज होती है। इस परिस्थिति में यदि उपर्युक्त संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की खोज हुई हो और उसी के आधार पर उनकी जप्ती की गई हो तभी उपर्युक्त संस्वीकृति सुसंगत होगी। यदि यह प्रतीत हो कि उक्त संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण के आधिपत्य से चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की जप्त नहीं की गई। उस अवस्था में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी का आरोप प्रमाणित नहीं होगा।

12— जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 के अनुसार ईसुल गोंड के खेत के पास सरकारी

जंगल की झाड़ी ग्राम बघवाड़ के आरोपी बैजू के मेमोरेण्डम के आधार पर बैजू के निकाल कर देने पर एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. के जप्ती के गवाह त्रिवेणी यादव एवं आनंदराव के समक्ष हुई। साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के ज्ञापन प्र0पी0 5 के अनुसार अभियुक्तगण ने चुराई गई एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की ईसूल गोंड के खेत के आगे सरकारी जंगल के झाड़ी में छिपाकर रख दिये हैं, बताया था। इस प्रकार साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होना चाहिए कि अभियुक्त बैजू के बताए अनुसार ईसूल गोंड के खेत के आगे सरकारी जंगल की झाड़ी से आरोपी द्वारा निकालकर देने पर एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की जप्त हुई।

13— अभियोजन साक्षी एस0आर0 यादव (अ.सा.09) पुलिस उप निरीक्षक है। इस गवाह की परिसाक्ष्य के अनुसार उसने दिनांक 15/11/10 को ग्राम बघवाड़ में गवाह त्रिवेणी, आनंदराव के समक्ष आरोपी बैजू का प्र0पी0 5 का मेमोरेण्डम कथन लेख किया था जिसमें उसने दिनांक 13/11/10 की रात्रि में श्रीराम के खेत में नदी के पानी के अंदर से ट्यूबवेल की पानी मोटर चुराना एवं उसे अशोक के साथ मिलकर ईसूल गोंड के खेत के आगे सरकारी जंगल की झाड़ी में छिपाकर रखना स्वीकार किया था। मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 5 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी द्वारा बताए गए स्थल से उसके द्वारा निकाल कर पेश करने पर एक ट्यूबवेल की मोटर पांच एच.पी. की 5 एस.पी. की जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 6 तैयार किया जिससे सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी अशोक एवं बैजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 7 एवं 8 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी श्रीराम गवाह ईसूल, बृजेश के कथन उनके बताये लेख किया था जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था।

14— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध दबाव डालकर मेमो0 कथन बनाया था। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण को गिर0 करने के बाद मेमो0 की कार्यवाही की थी। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण के कब्जे से कोई मोटर साईकिल जप्त नहीं की थी। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसने जप्ती के फर्जी गवाह बना लिए थे। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा जो इस गवाह के द्वारा मुख्यपरीक्षा में जो तथ्य बताए हैं वह प्रतिपरीक्षा में अखंडित रहें हैं। बल्कि बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य भी नहीं लाए हैं जिससे कि इस गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। बल्कि इस गवाह की साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-27 के मेमोरेण्डम प्र0पी0 5 में की गई संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाया। इस प्रकार मेमो0 की संस्वीकृति के आधार पर ही चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की जप्त होना प्रमाणित होता है।

15— अभियोजन साक्षी त्रिवेणी यादव (अ.सा.03) ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि दिनांक 15/11/10 को पुलिस ने उसके सामने आरोपी का

मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 5 लेख किया था जिसमें उसने श्रीराम के खेत में नदी के पानी के अंदर से ट्यूबवेल की मोटर चुराना एवं उसे अशोक के साथ ले जाकर ईसुल के खेत के आगे सरकारी जमीन में छिपाकर रखना बताया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके बाद पुलिस उसे एवं आरोपी बैजू को साथ लेकर सरकारी जमीन पर गई थी। जहां पर आरोपी मोटर निकाल दिया था। जिसे पुलिस ने जप्त किया था। इसी गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में बताया है कि पुलिस ने आरोपी बैजू से उसके सामने मोटर जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्र0यपी0 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में अस्वीकार किया है कि श्रीराम के खेत के पास पुलिस वालों ने बैजू से कोई पूछताछ नहीं की। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि बैजू ने श्रीराम के घर के पास कुछ नहीं बताया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में व्यक्त किया है कि जितनी भी पूछताछ हुई थी वह श्रीराम के खेत के पास हुई। आगे यह अस्वीकार किया है कि जितनी भी पूछताछ हुई वह प्राथमिक शाला बघवाड़ में हुई। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे प्राथमिक शाला बघवाड़ में पूछताछ के संबंध में हस्ताक्षर करवाए थे। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने पुरी पूछताछ प्राथमिक शाला बघवाड़ में की थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में अस्वीकार किया है कि उसके पुलिस ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष अभियुक्त बैजू से पूछताछ कर मेमो0 कथन प्र0पी0 5 एवं सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 की कार्यवाही की गई जो कि मेमो0 प्र0पी0 5 की संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की जप्ती कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाई गई।

17— अभियोजन साक्षी आनंदराव (अ.सा.04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पुलिस ने आरोपी बैजू से पूछताछ की थी। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि राजेश के खेत में नदी में रखी पानी की मोटर चुराया था जिसे उसने किसी की बाड़ी में फेंक दिया। फिर पुलिस बैजू लेकर बाड़ी में गई थी, जहां से आरोपी ने मोटर निकालकर पेश किया था जिसे पुलिस ने जप्त किया था जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 5 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपी बैजू ने पुलिस को मेमोरेण्डम देते समय यह बताया था कि अशोक के साथ मिलकर ईसुल के खेत के आगे झाड़ी में रख दिया है और वहीं से पुलिस ने मोटर जप्त किया था।

18— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसे पहली बार पुलिस वालों के आने के बाद चोरी की जानकारी हुई। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस वालों ने मौके पर कोई कागज नहीं बनाए। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे कोई हस्ताक्षर नहीं लिए थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि प्राथमिक स्कूल बघवाड़ में उसके सामने एवं त्रिवेणी के सामने कोई कागज तैयार पुलिस वाले ने नहीं किए।

आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि घर पर पूछताछ की थी कोई कागज नहीं बनाए थे। इस प्रकार इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कुछ विसंगत कथन कहे हैं, किन्तु उक्त कथनों के कारण इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं सूचक प्रश्नों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

19— क्योंकि मेमोरेण्डम प्र0पी0 5 के साक्षी त्रिवेणी यादव (अ.सा.03), आनंदराव (अ.सा.04) ने अपनी मुख्यपरीक्षा एवं सूचक प्रश्न में जो संस्वीकृति की है। वह प्रतिपरीक्षा में खंडित नहीं हुई है और उक्त दोनों गवाहों ने मेमो0 की संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की आरोपी बैजू के बताए अनुसार जप्ती की गई है जिस पर अभियुक्त अशोक के साथ ले जाकर ईसुल के खेत के आगे सरकारी जंगल में छिपाकर रखना बताया था। उक्त तथ्यों के अनुसार ही चोरी की विषयवस्तु एक विद्युत मोटर 5 एच.पी. की जप्ती की गई।

20— क्योंकि इस गवाह को प्र0पी0 5 का मेमो0 कथन दिखाया गया तो साक्षी का कहना है कि यह हस्ताक्षर उसके हैं और जो बी से बी भाग पर है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में हस्ताक्षर स्वीकार करने के कारण मुख्यपरीक्षा में बताए गए तथ्य से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष अभियुक्त के द्वारा मेमो0 प्र0पी0 5 में की गई संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषय वस्तु एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की अभियुक्त बैजू ने अभियुक्त अशोक के साथ मिलकर चोरी करना बताया है जिसे इस गवाह ने अपनी सूचक प्रश्नों में स्पष्ट किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन होता है।

21— अभियोजन साक्षी ईश्याक् (अ.सा.010) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 2010 को उसने एक पानी की पनडुब्बी मोटर ले जाकर प्राथमिक शाला बोड़खी में ले जाकर ग्राम पंचायत बघवाड़ की उप सरपंच को शिनाख्ती हेतु सौंप दिया था, फिर वहां से चला गया था। शिनाख्ती के साक्षी जगन्नाथ (अ.सा.6) ने बी से बी भाग पर तथा साक्षी मंगलीबाई (अ.सा.07) ने शिनाख्ती मेमो0 प्र0पी0 7 के सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षा में विसंगत कथन कहे हैं। किन्तु उक्त शिनाख्ती के साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि शिनाख्ती की कार्यवाही के समय साक्षियों को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे बल्कि यही माना जायेगा कि चोरी की विषय वस्तु पांच एच0पी0 मोटर जो अभियुक्त बैजू के द्वारा चुराई गई और अभियुक्त अशोक के द्वारा मिलकर छुपाया गया जो कि फरियादी के आधिपत्य से हटाने के तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार शिनाख्ती कार्यवाही प्र0पी0 3 प्रमाणित है। जो कि अभियुक्त के द्वारा घटना होने के तथ्यों को स्पष्ट करती है।

22— अभियोजन साक्षी ईसुल (अ.सा.02) एवं अभियोजन साक्षी अमरीलाल (अ.सा.08) ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

23— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने प्रार्थी श्रीराम राठौर के खेत में से फरियादी श्रीराम राठौर की आधिपत्य की एक विद्युत मोटर (एक समरसेवल पम्पसेट) पांच एच.पी. की कीमती करीबन

20,000/-रूपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

24— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त अशोक ने प्रार्थी श्रीराम राठौर के खेत में से फरियादी श्रीराम राठौर की आधिपत्य की एक विद्युत मोटर (एक समरसेवल पम्पसेट) पांच एच.पी. की कीमती करीबन 20,000/-रूपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की। इस प्रकार अभियुक्त अशोक को भा0द0वि0 की धारा-379 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

25— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमेश नागपुरे ने व्यक्त किया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है वह गरीब व्यक्ति है और परिवार कर्ता सदस्य है। अभियुक्त विवाहित है उसके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। अभियुक्त के जेल जाने से उसके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उसे अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

26— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्त का प्रथम अपराध है और अभियुक्त के द्वारा फरियादी की एक विद्युत मोटर पांच एच.पी. की चोरी की गई है। चोरी का अपराध लोक को वृहद रूप से प्रभावित करता है। चोरी के कृत्य से जन सामान्य में अपनी सम्पत्ति के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। जिससे चोर को उचित शिक्षा मिलने से वह सुधार की दिशा में अग्रसर हो सके। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को कारावास से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त अशोक को भा0द0वि0 की धारा 379 के अपराध के आरोप में 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। यदि अभियुक्त रिमाण्ड व विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहा हो तो उसे द0प्र0सं0 की धारा 428 के अंतर्गत कारावास के दण्ड की अवधि से मुजरा की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

27— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे। प्रकरण में आरोपी बैजू फरार है। अतः प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी बैजू फरार है प्रकरण नष्ट न किया जावे की टीप अंकित

की जावे।

28— प्रकरण में जप्त शद्दा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में आरोपी बैजू फरार है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

